

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

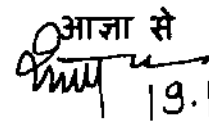
आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 214 /2021 दिनांक : 19.01.2021

इस कार्यालय के पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश/1744/2020 दिनांक 23.09.2020 को निरस्त करते हुए श्री प्रेमप्रकाश गुप्ता (RJ0270), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005 क्रम-01, झालावाड़ को दिनांक 24.08.2020 से 08.09.2020 तक 16 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 23.08.2020 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री गुप्ता की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005 क्रम-02, झालावाड़ ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005 क्रम-01, झालावाड़ के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से

19.1.2021

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/93/1996/ 572

दिनांक : 19.01.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005 क्रम-01, झालावाड़ को उनके पत्रांक 10 दिनांक 12.01.2021 के सन्दर्भ में ।
3. श्री प्रेमप्रकाश गुप्ता (RJ0270), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005 क्रम-01, झालावाड़ ।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005 क्रम-02, झालावाड़ ।


सहायक रजिस्ट्रार